[20/12/2021]

वि-प्रश्न सं. [क्र. 397] २० ०५ - 397 **परिशिष्ट - ग्यारह** (1)

मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 6–1 / 2018 / 58 भोपाल, दिनांक 25/06/2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत

विषय :– विभाग की विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किये जाने के संबंध में ।

राज्य शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यानिकी विभाग की निम्नानुसार योजनाओं का कियान्वयन एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी. एग्रो) के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है :–

कमांक	योजना शीर्ष	योजना का नाम
1	1482	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइको इरिगेशन योजना
2	2806	फल पौध रोपण हेतु अनुदान
3	5116	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन
4	5137	औषधि एवं सुगंध फसल कार्यकम
5	5626	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
6	6497	व्यवसयिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
7	6498	उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढावा देने की योजना
8	6520	सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना
9	6522	मसाला क्षेत्र विस्तार योजना
10	7692	राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन
11	8731	घरेलू बागवानी की आदर्श योजना

2. योजनाओं के संचालन में एम.पी. एग्रो द्वारा सामग्री प्रदाय का कार्य आर.सी.ओ. / निविदाओं के माध्यम से सम्पन्न करवाया जायेगा । विभाग द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कर उसे स्वीकार किया जाएगा तथा आगामी कार्यवाही की जाएगी ।

3. वर्तमान में व्यवसायिक प्रतिस्पर्धात्मक दौर में एम.पी. एग्रो द्वारा निविदा के माध्यम से एजेन्सियों से दरें आमंत्रित की जायेंगी, जिससे स्वाभाविक रूप से दरें कम प्राप्त होगी और यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रदाय सामग्री निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता पूर्ण हो ।

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन

क्रमांक एफ 6–1 / 2018 / 58 भोपाल, दिनांक 25/06/2019

प्रतिलिपि :– OSD, वि. क. अधि., मा. मंत्री जी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
1. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, संचालनालय, भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मुख्यालय,भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक (समस्त), उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक / जिला प्रबंधक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग